


– आदेश –

अतः प्रार्थीगण समदादेवी पत्नी गोकलाराम, जाति- जाट, नि० सनावडा, तह० बाडमेर वगैरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गंगापुरा, पटवार हल्का गिराब, भु- अभिलेख निरीक्षक-गिराब तह० गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1003, 1303/1003 रकबा कम्शः 33.18, 48.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फ़ूक 1000/- रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी मे की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 5.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
शिव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह

राजस्व आवेदन संख्या :- 147/2019

क्रमांक/आवेदन/19/4385

दिनांक- 22/8/19

प्रार्थीगण
समदादेवी पत्नी गोकलाराम, जाति-जाट,
10 सनावडा, तह0 बाड़मेर वगैरा (04)
बनाम
श्यामसिंह पुत्र हाथीसिंह वगैरा (30)
विप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम गोगापुरा, पटवार हल्का गिराब, भू- अभिलेख निरीक्षक-गिराब तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नंबर 1003, 1303/1003 रकबा कम्पः 33.18, 48.00 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/4386-91


दिनांक- 22/8/19

तिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार गडरारोड़ को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक गिराब को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी गिराब को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक गिराब द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गिराब को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण समदादेवी पत्नी गोकलाराम वगैरा (04) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण श्यामसिंह पुत्र हाथीसिंह वगैरा (30) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
3/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप0।</p> <p>प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम गंगापुरा, पटवार हल्का गिराब, भु- अभिलेख निरीक्षक-गिराब तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 1003, 1303/1003 रकबा कम्पः 33.18, 48.00 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध मे तनाव एव विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कस्त कर लेते है। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग मे हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 30 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 30 के सम्मन तामील हो गए है। सम्मन तामील होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्के एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्के के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।</p> <p>अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्के के आधार पर प्रार्थीगण की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 सिव

